

**कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड पौड़ी।**

संख्या 113 /2-2स्था0(308)स्थानान्तरण-2018/ 2017-18 दिनांक 14 अप्रैल,2018

**:: कार्यालय-ज्ञाप ::**

उत्तराखण्ड शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVII(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या 01 वर्ष 2018)" की धारा 5(1) एवं अग्रेतर कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 30/30/ XXX-2/2018-30(13)2007 दिनांक 06.02.2018 के बिंदु संख्या-2 'सुगम एवं दुर्गम स्थलों का चिन्हांकन और उसका प्रकटीकरण' के उपबिंदु (4) से प्रदत्त व्यवस्था के अनुक्रम में ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका स्थानान्तरण शासन स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाता है, ऐसे कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत सुगम एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों का चिन्हीकरण निम्नानुसार किया जाता है :-

क्रम संख्या	सुगम/दुर्गम क्षेत्रों में स्थित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
1	सुगम प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, शंकरपुर (देहरादून)
2		प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हरिद्वार
3		प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
4		प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी (नैनीताल)
5		प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हवालबाग (अल्मोड़ा)
6	दुर्गम प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी
7		प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, गोपेश्वर (चमोली)
8		प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, थरकोट (पिथौरागढ़)

(डॉ० पंकज पाण्डेय)

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास।

संख्या:- 113 /2-2स्था0(308)स्थानान्तरण-2018/ 2017-18 तददिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी।
5. समस्त आचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

आयुक्त,

ग्राम्य विकास।